RAJYA SABHA

Friday, 13th September 1996/22nd Bhadra 1918 (Saka)

[The House Met at eleven of the clock

The Vice Chairman (Shri Md. Salim) *in the Chair]*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

* 581. *[The Questioner (Shri Sanjay Dalmia) was absent for answer vide Col..... infra].*

वृक्षारोपण के संबंध में क्षमता

*582 **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में वृक्षारोपण की श्रेणी-वार क्षमता कितनी है;

(ख) फल तथा सब्जियों की फसलों/वृक्षारोपण हेतु प्रत्येक राज्य में श्रेणी-वार कुल कितना क्षेत्रफल है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में फल तथा सब्जियों की खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रदान किए गए प्रोत्साहनों और वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस संबंध में राज्य-वार सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, आठवीं योजना के अन्त तक मुख्य बागवानी/वृक्षारोपण फसलों के अन्तर्गत 15.00 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र आने का अनुमान है।

(ख) फल तथा सब्जियों के तहत आने वाले क्षेत्र का विवरण विवरण-1 में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) जी, हां। फल तथा सब्जियों की खेती के क्षेत्र के मामले में प्रस्तावित वृद्धि क्रमशः 6 लाख तथा 3 लाख हैक्टेयर के लगभग है। उष्णकटिबन्धों, शीतोष्ण तथा शुष्क क्षेत्र वाले फलों का समेकित विकास, सब्जी के बीजों का उत्पादन व आपूर्ति, जड़ वाली (मूल) तथा कन्द (ट्यूबर) वाली फसलों का विकास, कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग, जीवन निर्वाह योग्य खेती वाली भूमि को फल व सब्जियों जैसी ऊंची कीमत की बागवानी फसलों वाली भूमि में बदलने जैसी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से इस वृद्धि को प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

(ङ) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान इन फसलों से सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है। (नीचे देखिए) यह वित्तीय सहायता क्षेत्र विस्तार, उच्च क्वालिटी के बीजों व पौध सामग्री की व्यवस्था, ड्रिप सिंचाई प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहनों और फसल कटाई के बाद प्रबन्ध व विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए दी गई है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा विवरण-4 में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

विवरण-1

1993-94 के दौरान फल व सब्जियों के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र का विवरण

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

राज्य	सब्जी	फल
आन्ध्र प्रदेश	154457	539925
अरूणाचल प्रदेश	17217	24670
असम	206257	100587
बिहार	913970	295612
दिल्ली	25334	922

राज्य	सब्जी	फल
गोवा	72	11280
गुजरात	114500	117473
हरियाणा	75260	16761
हिमाचल प्रदेश	38325	182304
जम्मू और कश्मीर	32900	123923
कर्नाटक	215293	242201
केरल	243932	303123
मध्य प्रदेश	181114	68256
महाराष्ट्र	225492	372639
मणिपुर	4291	21165
मेघालय	25436	25435
मिजोरम	5635	10211
नागालैण्ड	8664	5867
उड़ीसा	774978	201215
पंजाब	102500	81766
राजस्थान	67332	20864
सिक्किम	7644	8720
तमिलनाडु	170922	179596
त्रिपुरा	31950	46845
उत्तर प्रदेश	708408	484047
पश्चिम बंगाल	470300	134640
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3307	3716
चण्डीगढ़	310	125
दादरा एवं नगर हवेली	1522	707
दमन और दीव	48	396
लक्षद्वीप	241	217
पाण्डिचेरी	2353	976
कुल:	4829864	3626184

विवरण-2

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए दिये गये प्रोत्साहन

1. **फलों का समेकित विकास:**

अलग-अलग किस्तों में कुल लागत का 50 प्रतिशत—50 प्रतिशत प्रथम वर्ष, द्वितीय व तृतीय प्रत्येक वर्ष में 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत चौथे वर्ष में सिवाय केले के, जिसमें दो वर्षों में दो किस्तों में सहायता दी जाती है। फसल की किस्म के आधार पर दी गई सहायता प्रति हैक्टेयर 6000 रु०— 60000 रु० के बीच है। सहायता के अन्तर्गत कवर की गई फसलें हैं — आम, लीची, कीनू, सपोटा, अमरूद, अंगूर, बेर व केला।

2. **पुष्पकृषि का विकास:**

आदान लागत का 50 प्रतिशत, 0.1 हैक्टेयर की प्रति यूनिट 6000 रु० की अधिकतम राशि 1 प्रत्येक लाभानुभोगी दो इकाईयों के लिए सहायता का पात्र है।

3. **काली मिर्च:**

प्रथम वर्ष - खेती की लागत का 50 प्र० श० या 5000 रु० प्रति हैक्टे०
द्वितीय वर्ष - खेती की लागत का 40 प्र० श० या 3000 रु० प्रति हैक्टे०
तृतीय वर्ष - खेती की लागत का 25 प्र० श० या 2000 रु० प्रति हैक्टे०

4. **अदरक:**

खेती की लगात का 25 प्र० श० या 5000 रु० प्रति हैक्टे०

5. **हल्दी:**

खेती की लगात का 25 प्र० श० या 4000 रु० प्रति हैक्टे०

6. **मिर्च:**

खेती की लगात का 25 प्र० श० या 3000 रु० प्रति हैक्टे०

7. **नारियल विकास:**

3 वर्षों में 6000 रु० प्रति हैक्टेयर

8. **काजू:**

साधारण जोतो हेतु 5 वर्षों में 7000 रु० प्रति हैक्टेयर अनुसूचित जाति, जोतों के लिए 5 वर्षों में 13,000 रु० प्रति हैक्टेयर

विवरण - 3

फल व सब्जी योजनाओं के तहत राज्य-वार निर्मुक्त की गई, उपयोग व अव्ययित शेष राशि ।

(रु० लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्ति		उपयोग		1.4.96 के कुल अव्ययित शेष राशि
		94-95	95-96	94-95	95-96	
1.	आन्ध्र प्रदेश	140.87	111.35	111.81	181.87	118.88
2.	अरूणाचल प्रदेश	31.60	29.50	30.25	—	59.50
3.	असम	5.63	5.28	18.23	7.57	21.49
4.	बिहार	0.00	0.00	—	—	136.44
5.	गोवा	47.77	13.50	27.79	10.37	41.69
6.	गुजरात	43.13	6.80	62.05	32.72	59.16
7.	हरियाणा	78.53	42.05	65.07	42.59	58.21
8.	हिमाचल प्रदेश	49.55	8.00	24.86	93.65	97.67
9.	जम्मू और कश्मीर	80.93	84.92	104.89	141.14	63.46
10.	कर्नाटक	122.88	107.52	104.20	100.36	31.09
11.	केरल	101.21	23.79	69.64	87.27	—
12.	मध्य प्रदेश	148.37	211.55	124.63	80.98	129.13
13.	महाराष्ट्र	156.13	180.96	181.88	140.21	135.41
14.	मणिपुर	72.45	125.67	20.06	54.45	128.16
15.	मेघालय	22.50	35.40	10.97	13.18	46.23
16.	मिजोरम	37.23	33.63	31.87	30.18	17.61
17.	नागालैण्ड	42.34	33.56	42.34	46.83	5.28
18.	उड़ीसा	99.33	200.38	72.58	54.57	181.79
19.	पंजाब	100.08	55.36	90.63	82.95	63.80
20.	राजस्थान	83.18	43.77	32.61	93.88	58.62
21.	तमिल नाडु	117.08	132.75	199.00	88.93	55.97
22.	त्रिपुरा	39.95	6.50	20.18	14.50	26.17
23.	उत्तर प्रदेश	141.50	63.91	41.53	40.00	244.09
24.	पश्चिम बंगाल	5.95	14.60	11.00	4.10	72.09
25.	सिक्किम	33.31	1.50	2.42	26.12	24.36
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3.25	12.48	2.04	2.29	15.75
27.	चण्डीगढ़	1.37	2.50	1.50	—	6.20
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.79	23.78	0.63	—	28.86
29.	दमन और दीव	1.50	6.41	—	—	10.26
30.	दिल्ली	12.96	23.50	4.72	5.00	32.82
31.	लक्षद्वीप	0.00	11.80	—	44.97	—
32.	पाण्डीचेरी	7.50	1.50	5.62	—	8.38

विवरण-4

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रमों के अंतर्गत दी गई सहायता के विवरण

1. **बागवानी फसलों के फसल कटाई पश्चात् की बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन पर समेकित परियोजना:** यह परियोजना 1988-89 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत शीतगार, प्रो० कूलिंग यूनिटों, ग्रेडिंग तथा पैकिंग केन्द्रों, प्रशीतित ट्रकों, विशेष वाहनों और खुदरा केन्द्रों जैसी कुछ निश्चित सुविधाओं के लिए सरल ऋण के रूप में प्रति संस्था 1.00 करोड़ की सहायता दी जाती है। अब तक 123.30 करोड़ रु० के निवेश की राशि से जो 122 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और जिनमें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का हिस्सा 29.2 करोड़ रु० है, निम्नलिखित हैं:—

शीतगार	—	59
प्री कूलिंग यूनिटें	—	71
ग्रेडिंग व पैकिंग केन्द्र	—	127
प्रशीतित ट्रक	—	60
विशेष वाहन	—	91
खुदरा केन्द्र	—	256

2. **सरल ऋण में सहकारिता के माध्यमों से बागवानी उत्पाद के विपणन का विकास:** यह योजना 1993-94 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य था फलों, सब्जियों, फूलों खुम्बी आदि के विपणन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में निजी निवेश को बढ़ाना। अब तक 69 परियोजनाओं के मामले निपटा दिए गए हैं तथा 24.2 करोड़ रु० निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

उपरोक्त दो मुख्य योजनाओं के अलावा जिन अन्य योजनाओं को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने कार्यान्वित किया, वे इस प्रकार हैं:

(i) बागवानी में नयी प्रौद्योगिकी तथा अवधारणाओं की स्थापना। यह योजना राज्य कृषि विश्वविद्यालयोल /भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है तथा यह फसल कटाई पश्चात् के कार्यों में अनुसंधान और विकास से संबंधित है।

(ii) प्रशिक्षण के द्वारा प्रौद्योगिकी का अंतरण।

(iii) बागवानी के विकास के लिए व्यवसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना।

(iv) जूस बेचने वाली वेंडिंग मशीनों की स्थापना।

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, has the Congress party boycotted the session today because the Eighty-first Constitution (Amendment) Bill is going to come?

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरा सीधा सवाल था कि प्रत्येक राज्य में वृक्षारोपण की श्रेणीवार क्षमता कितनी है। तो माननीय मंत्री जी का जवाब यह है कि इस संबंध में राज्यवार सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वृक्षारोपण जैसा कार्यक्रम देश की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें पूरे राज्यों का भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसकी क्या वजह है?

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर वृक्षारोपण है तब तो हमारी मिनिस्ट्री का है ही नहीं, तब तो दूसरी मिनिस्ट्री जवाब देगी। लेकिन हमने सोचा चूंकि इसमें हार्टीकल्चर वगैरह की बात है इसलिए हमने ओब्लाइज किया आपको कि हम आपको दे दें। नहीं तो, वृक्षारोपण हमको कहिएगा तो हम नहीं ला सकते हैं, वह तो दूसरी मिनिस्ट्री का है इसलिए ...(व्यवधान) That Chair is free to do. I have no objection.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपका विषय जहां पर है वह बोल दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र: इसमें हार्टीकल्चर, फ्रूट्स वगैरह पूछा हुआ है तो हमने सोचा। इट इज ट्रांसलेटेड। वृक्षारोपण का उन लोगों ने ट्रांसलेशन कर दिया तो हमने सोचा Let us help them instead of sending them to some other Ministry. That is why I have done this. Actually afforestation is not under me. Regarding the question on fruits and vegetables. I have already given it in my reply.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपने कृषि मंत्री जी को जो प्रश्न किया उसका उत्तर ले लीजिए ...(व्यवधान) हां, सेकेंड सप्लीमेंट्री।

श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, फल तथा सब्जियों की खेती के क्षेत्र में पूर्ति करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की सरकार की क्या कोई योजना है और किसानों के कल्याण हेतु क्या कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है - फल सब्जी का?

श्री चतुरानन मिश्र: ये तो हमने स्कीम्स बतायी हैं। हमारे रिप्लाई में स्कीम्स दी हुई हैं। जो मदद की हुई है वह भी एनेक्सर में लगी हुई है। हम माननीय सदस्यों का

ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि incentives have been given for area expansion under various schemes.

एनेक्सर न. दो में हमने डिटेल्स दे दिए हैं आपको।

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Mr. Vice-Chairman Sir, according to the updated Economic Survey, 1995-96 there is a decline in the overall investment in agriculture. The reply given by the hon. Minister in Annexure III shows that there is a decline in the releases of grants and other incentives given to various States. It also shows that there is a decline in the utilisation of the money allotted to different States. This is because of the reduction in public investment. In the last three or four years, we have experienced a lot of fluctuations in the prices of various agricultural crops. The lack of marketing facilities the lack of credit facilities the lack of storage facilities and the lack of cold storage facilities are the factors which have contributed to the decline in investments.

And we all know that this will have an adverse effect on productivity and production. So, I would like to know from the hon. Minister, taking into consideration all these aspects, what steps the Ministry of Agriculture intends to take for giving more incentives by way of more public investments and price protective measures and also by providing market facilities, more credit facilities and also storage and cold-storage facilities. What steps does the Ministry intend to take?

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, it is a fact that the funds that are available are not being utilised. I have given you the whole chart here and the chart shows that about Rs. 20 crores are to be utilised. This is the last year of this Five-Year Plan. That is why I have circulated this to the hon. Members so that they can persuade the State Government that they should take help from me. I am here to help you and I request you to help me also and at least get this Rs. 20 crores utilised as soon as possible.

As regards incentives, etc., I think enough of incentives are there. If need be, I will again consider it. But, for the moment, unless you utilise it and tell me what the difficulties are, only by giving incentives, the purpose will not be served. As for cold-storage, tansport subsidy, these are things I have already given you. Take this help. Ask the State Governments to be more active. I request Hon. Members to take keen interest in having cooperative societies of farmers. In that case, the Horticulture Board which is here can give direct help to cooperatives if they are for vegetables or for fruits. I am ready to help them. It is for the Members to react.

श्री महेश्वर सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सर्वविदित है कि गत वर्षों में फलों और सब्जियों का उत्पादन देश में बहुत अधिक बढ़ा है और प्लांटेशन के नीचे एरिया भी प्रदेश का बढ़ा है और आज जो बढ़ा हुआ उत्पादन है वह किसान के लिए चिंता का विषय है क्योंकि विधायन और विपणन की समुचित व्यवस्था उसे उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह संबंधित मंत्रालय से बात कर इस सदन में कोई ऐसा विधेयक लायेंगे ताकि जितने भी आज सिंथैटिक शीतल पेय पदार्थ हैं उसमें कम से कम 20, 25 या 30 प्रतिशत फल रस का होना अनिवार्य किया जाए ताकि किसानों को मार्केटिंग का एक क्षेत्र मिल सके?

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभाध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग के लिए हमने उनके लिए अलग से सबसिडी दे रखी है और आपके राज्य में भी जो अभी तक फंड है वह करीब एक करोड़ रुपया जो आपको दिया है वह अभी तक यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। इसलिए दूसरे मंत्रालय से तो तब हम जायेंगे जब अपने मंत्रालय का पैसा खर्च हो जाए और आप लोग हमारी मदद कीजिए तभी तो जायेंगे इसके लिए हम लोग तैयार हैं।

श्री महेश्वर सिंह: सर, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा था कि क्या संबंधित मंत्रालय से इस प्रकार की बात करेंगे कि जितने भी आज ये शीतल पेय पदार्थ हैं उसमें 25 या 30 प्रतिशत फलरस का होना अनिवार्य किया जाए?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): वह दूसरे मंत्रालय में बाद में जायेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र: हमने तो आपसे बताया है कि हम 25 परसेंट सबसिडी पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड को ध्यान

में रखते हुए देते हैं। वह देते हैं एन०जी०ओ० को, कोआपरेटिव सोसायटीज़ को, कंपनीज़ को ऐनी सोसायटी रजिस्टर्ड और स्टेट गवनमेंट सब को देते हैं। सिर्फ आनेरेबल मैंबर्स को अलग-अलग नहीं देते हैं। इसीलिए इसको आप मदद कर दीजिए हम वह भी उसको भी विचार करेंगे लेकिन पहले इस काम को तो किया जाए।

श्री महेश्वर सिंह: इसमें तो मदद करेंगे यह भी विचार कर लीजिए जो मैंने कहा है।

SHRI R. MARGABANDU: I would like to know from the 'hon. Minister. ...(*Interruptions*) I would like to know from the hon. Minister whether funds have been allocated for the KVK and whether it will be extended to each and every district in he States. It is said that for the last one year, no amount has been allotted. Is there any proposal to allot the funds as quickly as possible?

Sir, the second part of my question is this. So far as the Wasteland Development Scheme is concerned, that is intended for developing wasteland for raising fruit-bearing trees and other things. But the Wasteland Development Department says that a very meagre amount is allotted to them. I would like to know whether there is a proposal by the Government to increase the fund meant for wasteland development also.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, so far as the question of waste land is concerned. I am not prepared for that. I do not know as to what is happening in the waste land. I require a separate notice for that. It is not under my Ministry. For that, the Ministry of Environment and Forests is there. As regards KVK, I have already circulated a document to all of you and I am awaiting your reply. According to the decision of the Planning Commission, 78 new KVKs were to be formed. I have completed that. Now I want more. They are not giving funds to me. I have suggested some alternative. (*Interruptions*)

SHRI S.S. SURJEWALA: Sir, he has not gone through the letter which you have circulated.

SHRI CHATURANAN MISHRA: As a colleague, you can say that. But I am not entitled to say so. So, I think it is with you . If any body has not received it. I am ready to give you a fresh copy. The moment I get suggestions from you. I will decide how to have at least one KVK in each district in a time-bound programme. This is my idea. I cannot specify the time here. Only after getting a response from you, I will do that.

SHRI R. MARGABANDU: Nothing has been allowed for the past one year.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Margabandu, you can't have a second supplementary.

SHRI SOM PAL: Sir, can you ask them to restore order?

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Md. Salim): Order, Please.

श्री सोमपाल: उसभाध्यक्ष महोदय, जब फलों और सब्जियों के उत्पादन और उन की इकॉनोमिक वाएबिलिटी का सवाल आता है तो दो महत्वपूर्ण बिंदू हमेशा किसान के ध्यान में आते हैं—एक तो यह कि जब तक किसान को उस के उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलेगा, वह इस गतिविधि को चालू नहीं रख सकता और दुर्भाग्य यह है, विडंबना यह है कि देश को आजादी मिले 49 वर्ष हो गए हैं, आज तक कृषि उत्पादों के, खास तौर से फलों और सब्जियों के, विपणन की व्यवस्था ठीक नहीं हो पायी है।

महोदय, दिल्ली जोकि हमारे देश की राजधानी है और जहां केन्द्र सरकार का मुख्य कार्यालय है, वहां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट आज तक सरकार लागू नहीं कर पायी है। मंत्री महोदय आप का ध्यान चाहूंगा, उस कानून के अंदर यह लिखा हुआ है कि उन की खुली नीलामी होगी। लेकिन आज भी हाथ के ऊपर रूमाल रखकर 4, 5, 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस के ऊपर एकाधिकार जमा रखा है और जो किसान तीन सौ, चार सौ, पांच सौ किलोमीटर दूर से अपनी चीज लेकर आते हैं, उन को यह जानकारी नहीं है कि किस आधार पर उस की चीज का मूल्य घोषित कर दिया जाता है। महोदय, मैं यह सवाल पिछले 6 वर्षों से प्रायः एक नहीं तो दूसरे सत्र में उठाता रहा हूं, लेकिन सरकार कभी भी उस का उत्तर नहीं दे पायी है। मैं आप से जानना चाहता हूं कि उस कानून को यहां लागू करने में क्या कठिनाई

है? अगर आप इतने अक्षम है तो इस पद को छोड़ क्यों नहीं देते? अगर अक्षमतावश उस कानून का पालन सरकार नहीं करती तो कौन उस को करने आएगा?

महोदय, मेरा "ख" बिंदु यह है जिस पर मैं आप से कैटेगैरिकल रिप्लाय चाहूंगा। मिश्र जी आप कोई गोल-मोल मत कीजिएगा। आप ने वित्तीय सहायता या फायनेंसियल असिस्टेंस की बात की और रिजर्व बैंक ने 18 प्रतिशत ऋण ग्रामीण क्षेत्रों यानी कृषि क्षेत्र को जाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति कभी नहीं हुई। मैं ने यह बात वित्त मंत्री जी से भी पूछी है। लगभग 13 प्रतिशत ऋण वर्ष 95-96 में गांवों को गया है और अब इस वर्ष 14.8 प्रतिशत हुआ है। तो आप ने यह लक्ष्य निर्धारित क्यों किया और यदि निर्धारित किया है तो उस के अनुपालन कराने में कौन सी कठिनाई आ रही है और आप का मंत्रालय इस दिशा में क्या करने जा रहा है?

महोदय, इसी के साथ जुड़ी हुई बात यह है कि ...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) —संक्षिप्त में पूछ· लीजिए।

श्री सोमपाल: महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है और दोनों इसी प्रश्न से संबंधित हैं। मैं कोई विसंगत बात करने नहीं जा रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)—प्रश्न पूछिए।

श्री सोमपाल: तीसरी बात यह है कि आज जितनी भी हायटैक एग्रीकल्चर, ग्रीन हाउस वगैरा आ रहे हैं, उन को भी प्राथमिकता के क्षेत्र में क्लब कर दिया गया है। उस का परिणाम यह होगा कि जितनी व्यापारिक कंपनियां हमारे देश में आएंगी, वह सारा ऋण ले जाएंगी और जो आम किसान है, जो वास्तविक किसान है उस को वह ऋण नहीं मिलेगा। तो इस संबंध में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

कृपया इन तीनों बातों पर प्रकाश डालने का कष्ट करें।

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां तक पहला सवाल है, उस कानून को लागू करने का मंडी वाला, तो वह तो करना चाहिए था राज्य सरकार को, लेकिन आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है तो हम राज्य सरकार से इस संबंध में बातचीत करेंगे कि इसको कैसे किया जाए। हम आपके इस विचार से सहमत हैं कि जो मिडिलमेन है वह बहुत ज्यादा एक्सप्लायटेशन करते हैं। मेरे लिहाज से जो सब्जी की कीमत है, वह कीमत उतनी कम नहीं है, जितना कि मिडिलमेन का प्रोफिट ज्यादा है। तो उसके लिए कोपरेटिव माध्यम हो सकता है और दूसरी कार्यवाही की जा सकती है। कोपरेटिव सबसे अच्छा होगा। अगर वह लोग ऐसे करें तो हम जो सबसिडी? जैसा हमने अभी पहले कहा, उसके जरिए वह अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर दिक्कत है ट्रक वगैरह की, कि एअर-कंडीशंड रहें तो उस संबंध में भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर कंक्रीट प्रोपजल आएं तो उसके लिए किया जा सकता है। यहां तक ग्रीन हाऊस वाला क्वैश्चन है, वह अभी तक इस स्केल में नहीं आया है कि हम उसके लिए कोई तुरन्त एक्शन लें। अगर ऐसी कोई जरूरत होगी, तो सरकार पीछे नहीं रहेगी।

श्री सोमपाल: तीसरी बात तो रह गई।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): श्री प्रणव मुखर्जी।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, may I know from the hon. Minister something particularly in connection with the KVKs? I appreciate the hon. Minister particularly for the two circulars which he has sent to the Members of Parliament, one in regard to the KVKs, and another in regard to the rural credit arrangements. With regard to KVKs, the one problem with which we are confronted is that if the expenditure of some of the established KVKs could be borne by these functioning institutions or by somebody else, then, perhaps, the resources would be made available to have one KVK in each district; otherwise, whatever suggestions we may give to the hon. Minister, it will ultimately get stuck if adequte resources are not made available and we shall have to go in for privatisation.
though as an institution KVKs are quite useful. So, I would request the hon. Minister to examine that aspect.

Secondly, I understand that there is a lacuna in the existing Forest Act that none of the fruit-bearing trees are covered by the Forest Act. I would like to know whether an amendment in the existing Forest Act is possible; he would kindly look into it in collaboration with the Minister in charge of forests so that

there would be organised cultivation of the fruit beering trees and the programme could be integrated with that; simultaneously, forest covering and production of fruit-beering trees could take place.

श्री चतुरानन मिश्र: उसभाध्यक्ष महोदय, वह फोरेस्ट एक्ट के मुत्तलिक जो कुछ आपने कहा, उस विचार को हम वन मंत्री के पास भेज देंगे कि आपके विचार पर गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मैं यही कह सकता हूं। यहां तक के०वी०के० के बारे में है, यह ठीक है कि फाइनेन्सियल दिक्कत है। यह तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं और योजना कमीशन का भी जो हाल है वह भी आप हमसे ज्यादा एक्सीपीरिएंसड हैं। हम इतना ही आपको कह सकते हैं कि हमारे यह पत्र देने के बाद कुछ माननीय सदस्यों ने जमीन भी ऑफर की है करीब तीस एकड़, चालीस एकड़ अपने अपने क्षेत्र में और मकान भी कुछ लोगों ने कहा है कि हम आपको दे देंगे। अब हमने ऐसा किया है कि जो वाल्युटरी आर्गेनाइजेशन हैं, उनको पहले भी इसमें लगाया है, उनसे यह बातचीत कर रहे हैं कि वह कोस्ट हमको कम करें क्योंकि कोस्ट का ऐसा है कि जैसा हमने आपके पत्र में देखा, 2.5 करोड़ हमको देना पड़ता है पांच साल में। हम इसको रेड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि मकान वगैरह बनाने में ही आधे से ज्यादा फंड हमारा चला जाता है। उसको अगर हम घटा सकेंगे तो हम समझते हैं कि थोड़ी सी मदद जो हमको होगी तो हम करीब करीब हरेक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा सकेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक ही साल में पहुंचाएंगे, दो साल, तीन साल लगेगा। उससे ज्यादा हम नहीं जाने देंगे। हम ऐसे प्रयास में हैं और हमको लग रहा है कि जो वाल्युटरी आर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें रामकृष्ण मिशन है, होली क्रोस है या जैसे विनोबा जी की राजनैतिक कार्यकर्ता संस्था है या इस तरह के लोग हैं, वह सभी लोग आ रहे हैं और इंडिविजुअल मैम्बर आफ पार्लियामेंट भी तेजी से आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि सक्सेस जरूर मिलेगी। यह इच्छा प्रकट कर सकता हूं, बाकी क्या कहूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: फल को उगाने के लिए किसान का उसके बारे में लायबल होना जरूरी है। अब उड़ीसा में केश्यू कट रहा है, पंजाब में नाशपती के पेड़ कट रहे हैं, कीनू के पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि किसानों को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनको उनकी उचित कीमत नहीं मिलती। तो क्या सरकार उनको ठीक कीमत दिलाने के लिए, इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सहायता देने के लिए कुछ कर रही है? कुछ ठंडे केरियर बनाने के बारे में सोचा जा रहा है? इसके साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूं कि जो इंसेंटिव्स सरकार देने जा रही है, क्या वे इंसेंटिव्स उनको फल पैदा करने में जो नुकसान होता है, उसको कवर करने में काफी है, उपलब्ध है? महोदय, एक फल का पेड़ लगाकर 15-20 साल तक किसान उस पर फल आने का इंतजार करता है, लेकिन उसके बाद जब उसको मिलता कुछ नहीं है तो वह उसको काटता है। इससे जहां पेड़ रोता है, वहां किसान भी रोता है और इससे देश का भी नुकसान होता क्योंकि इससे इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होता है। यह सारा कुछ इसलिए हो रहा है ताकि किसान उसका मंडीकरण ठीक तरह से न कर पाए और जैसा सोमपाल जी ने कहा कि दिल्ली की मंडी में अब भी किसान का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और 5 से 6 परसैंट तक बिचौलिए का कमीशन लिया जा रहा है। तो जो यह सारा धंधा इसलिए हो रहा है कि किसान को कुछ न मिले, इस बारे में सरकार क्या कर रही है? सिर्फ किसान को परसुएड करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्या सरकार उसको कन्विंस करके उसको लाभ दिलाने के लिए ये सारे कदम उठा रही है या नहीं?

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभाध्यक्ष जी, जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, उसकी तो सूची ही हमने दे दी है, इसलिए इन्सेंटिव तो हम दे ही रहे हैं। उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट के बारे में कहा है, उसके लिए भी हम सब्सिडी दे ही रहे हैं। जहां तक उनका यह कहना है कि फल लगने में 15-20 बरस लग जाते हैं, तो इस अवधि को छोटा करना हमारे हाथ में नहीं है। यह हमारे हाथ में नहीं है कि जिस साल में वह बोए उसी साल में वृक्ष फले। इसके लिए वैज्ञानिक लोगों से कहेंगे कि इस बारे में वे अगर कुछ कर सकें तो करें, लेकिन अभी तक ऐसा इंतजाम नहीं है। जहां तक पोस्ट हारवेस्ट स्टेज में वेस्टेज की बात है, इसके लिए 25 परसैंट तक हम सब्सिडी देते हैं और इस बारे में हम किसानों की मदद करने को तैयार हैं। जहांतक मूल्य की बात है, हम समझते हैं कि मार्किट में मूल्य उतना कम नहीं है जितना मिडिलमैन्स का प्राफिट ज्यादा है। ..(व्यवधान)..

श्री सोमपाल: आप मार्किटिंग एक्ट को लागू करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? यह बात मैं आपकी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कीमत कम नहीं है, 30 रुपये में कीनू का कट्टा बिकता है जो कि अगले दिन 160 रुपए में चला जाता है। कैसे कह रहे हैं आप कि कीमत कम नहीं है और निराधार बात क्यों कह रहे हैं?

SHRI CHATURANAN MISHRA: Som Palji, I think there is some misunderstanding. What is the price in the market at which the cosumer purchases them? That is not less. I can tell you. ...(*Interruptions*) ...

SHRI SOM PAL: It is the price received by the farmer and not the price paid by the consumer. उसकी बात कह रहा हूं।

SHRI CHATURANAN MISHRA: That is the point which I am telling you time and again. There is a problem of middlemen. The crux of the problem is the middleman's profit. (*Interruptions*)... It is not that you raised a point at what price the consumer gets them. I am of the opinion that we have to help the farmers and, therefore, these schemes have been taken up.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: इस बारे में प्रधान मंत्री से भी कोई चर्चा चल रही है?

SHRIMATI KENUKA CHOWDHURY: Sir, I want to put a question which has larger ramifications. As regards the increase in the area of cultivation, keeping in view the GATT proposals, I want to know whether there is any way by which we can monitor the change in the crop pattern from food crop to cash crop *vis-a-vis* floriculture and horticulture. I would like to know whether we have been monitoring this and, if so, how many farmers have adopted variation in the crop pattern. What are the recommendations that the Government is going to make to the Planning Commission so that the Planning Commission can apply its mind along with the Agriculture Ministry? We have been proud of our buffer stock. How are we going to counter these alterations?

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, it is a fact that some alterations and deviations are taking place. As a result of that, so far as fruits and vegetables are concerned, the acreage has sufficiently increased. But the farmers will go to that area which gives them more income. It is a simple law that they must do it. What I am protecting is this. So far as foodgrains are concerned, enough precaution should be taken so that again the country doesn't fall into a food deficit.

That is the first priority. So far as horticulture is concerned, it has a very big potential. Very soon I am going to have a meeting of all the Agriculture Ministers of the north-eastern States. We would chalk out a plan and see how we can have more fruits and vegetables from that area. If necessary, transport or cargo would be arranged so that it could be exported. Export potential is very high. I think nature has given us various types of climates in our country. There is a very good prospect and I am going to utilise that and exploit all the natural resources that we have at our command.

*583. *[The Qquestions (Dr. Mohan Babu) was absent. For answer vide Co.....infra]*

Need for Alternate Funding of Higher Education

*584. SHRI SURINDER KUMAR SINGLA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Govenrment are aware that public support for higher education is essential, but higher educational institutions themselves also need to explore alternate funding sources;

(b) whether all stakeholders, students, parents, the public and private sector, local and national communities and authorities must join in this search; and

(c) the steps being taken to achieve this?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.